



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 542 राँची, बुधवार, 6 कार्तिक, 1942 (श०)
28 अक्टूबर, 2020 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

शुद्धिपत्र

19 अक्टूबर, 2020

सं.3/4/आई.डी./2020/एसडीआर/खण्ड-1।-आयोग के आदेश सं. 3/4/आई.डी./2020/एस.डी.आर/खण्ड-1। दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 के हिन्दी प्रारूप के पैरा 7 के मद स0 (iii) में 'बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड' के स्थान पर 'बैंको/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक' को प्रतिस्थापित किया जाए।

आदेश से,

(एन.टी.भूटिया)

सचिव

उपरोक्त शुद्धिपत्र का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(राहुल कुमार पुरवार)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

CORRIGENDUM**19th October, 2020**

No.3/4/ID/2020/SDR/VOLII-- In the Hindi Version of the Commission's Order No.3/4/ID/2020/SDR/VOLII Dated 14th October, 2020 under item no.(iii) of the Para 7 for the phrase "बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड" the phrase "बैंको/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक" shall be substituted.

By Order,

(N.T.Bhutia)
SECRETARY
